नियम 39 : अपील अधिकरण की गैर–बैठक के कारण नई वाद सूची और मामलों का स्थगन

(1) यदि अवकाश की घोषणा के कारण या किसी अन्य अप्रत्याशित कारण से अपील अधिकरण उस दिन कार्य नहीं करता है, तो उस दिन के लिए सूचीबद्ध मामलों के लिए नई दैनिक वाद सूची तैयार की जाएगी।

(2) जब किसी विशेष न्यायपीठ की बैठक न्यायपीठ के किसी सदस्य की असमर्थता के कारण रद्द कर दी जाती है, तो रजिस्ट्रार, जब तक अन्यथा निदेश न दिया जाए, उस न्यायपीठ के समक्ष रखे गए मामलों को सुविधाजनक तारीख तक स्थगित कर देगा।

(3) स्थगन या पोस्टिंग या निर्देश नोटिस बोर्ड और जीएसटीएटी पोर्टल पर अधिसूचित किए जाएंगे।